मामलों का विवरण

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2016 की लिखित याचिका (सी) संख्या 699) 09 नवंबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःजनहित की प्रकृति में रिट याचिका में संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग की गई थी।

भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **32-**संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों का त्वरित निपटान**-**जारी किए गए निर्देशः

आयोजित किया गयाः(i) उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीश इस शीर्षक के साथ एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करेंगे, "पुनः:संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए सांसदों/विधायकों के लिए नामित अदालतें-स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है; (ii) स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करने वाली विशेष पीठ नियमित अंतराल पर मामले को सूचीबद्ध कर सकती है जो आवश्यक महसूस किया जाता है-उच्च न्यायालय ऐसे आदेश और/या निर्देश जारी कर सकता है जो विषय मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए आवश्यक हैं-विशेष पीठ महाधिवक्ता या लोक अभियोजक को अदालत की सहायता करने के लिए बुलाने पर विचार कर सकती है; (iii) उच्च न्यायालय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश से ऐसी अदालत या अदालतों को विषय मामले आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करने की आवश्यकता हो सकती है।

प्राथमिकताएँः(1) पहले सांसद और विधायक के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय आपराधिक मामलों के लिए, फिर (2) 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय मामलों के लिए, और फिर (3) अन्य मामलों की सुनवाई के लिए-निचली अदालतें दुर्लभ और सम्मोहक कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेंगी; (v) विद्वान मुख्य

न्यायाधीश उन मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनमें मुकदमे पर रोक लगाने के आदेश विशेष पीठ के समक्ष पारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे की शुरुआत और समापन सुनिश्चित करने के लिए स्थगन आदेशों को हटाने सहित उचित आदेश पारित किए गए हैं; (vi) प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नामित अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधा सुनिश्चित करेंगे और इसे ऐसी तकनीक को अपनाने में भी सक्षम करेंगे जो प्रभावी और प्रभावी कामकाज के लिए समीचीन हो।[पैरा 20]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जनहित फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2015) 11 एस. सी. सी. 433; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 673 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल मूल आधिकारिता :2016 की लिखित याचिका (सी) No.699।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन)

रूपः

विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। (न्यायमित्र), सुश्री स्नेहा कलीता, सुश्री काव्या झावर, अधिवक्ता।

गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अश्विनी कुमार दुबे, ऋषभ शुक्ला, वैभव तिवारी, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

/

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के एम नटराज, विक्रमजीत बनर्जी, अमित आनंद तिवारी, बी के सतीजा, तपेश कुमार सिंह, सुश्री सोनिया माथुर, सुश्री वी मोहना, पी एन रवींद्रन, एस सी वर्मा, अनूप रतन, डॉ मनीष सिंघवी, एम के मारोरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।, के. परमेश्वर, मोहम्मद अखिल, श्रीमती रजत नायर, अपूर्व कुरुप, अरविंद कुमार शर्मा, प्रणव सचदेवा, बालाजी श्रीनिवासन, साहिल टागोत्रा, विधि कुमार, सुश्री मान्या चंदोक, सुश्री अभियक्ति बनर्जी, शिव राम शर्मा, टी. जी. नारायणन नायर, सुश्री स्वाति एच. प्रसाद, पी. एस. सुधीर, महेश अग्रवाल, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री आस्था शर्मा, श्रीसत्य मोहंती, सुश्री अंजू थॉमस, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियानी, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, भानु मिश्रा, सुश्री मुस्कान। अपजल अंसारी, चिराग एम. श्रॉफ, कृष्णम मिश्रा, राजीव कुमार दुबे, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, संतोष कृष्णन, सुश्री दीपशिखा 269

संसांवाल, अंभोज कुमार सिन्हा, रंजन मुखर्जी, पुखरंबम रमेश कुमार, करुण शर्मा, सुश्री राजकुमारी दिव्यासना, संदीप कुमार झा, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., लेखी चंद बोन्सले, सुश्री कोमल मुंधरा, सुश्री अनघा एन. शर्मा, अर्जुन गर्ग, श्रीमती अनिल कटियार, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., शबरीश सुब्रमण्यन, सुश्री देवयानी गुप्ता, विष्णु उन्नीकृष्णन, सी. क्रांति कुमार, नमन द्विवेदी, दानिश सैफी, सुश्री तन्वी आनंद, सुश्री राधिका गौतम, करण भ।प्रत्यर्थियों के लिए।

व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थ

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 270 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट याचिका, जनहित की प्रकृति में, दो अलग-अलग राहतों की मांग करती है।पहली प्रार्थना

संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित है।दूसरी प्रार्थना संबंधित है

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता के लिए।इस आदेश द्वारा, हम विषय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार करने के बाद पहली प्रार्थना के संबंध में इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं।हमने संबंधित उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीशों से समय-समय पर इन मामलों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

2. इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों, राज्य सरकारों के हलफनामों और उच्च न्यायालय ों की रिपोर्टों का एक संक्षिप्त संदर्भ, जैसा कि न्यायमित्र द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुतियों में विश्लेषण किया गया है, दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने और उचित निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा करने से पहले आवश्यक है।ये कार्यवाही भारत संघ, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किए जाने के साथ शुरू हुई।बाद में, इस न्यायालय ने श्री विजय हंसारिया, एल. डी. को भी नियुक्त किया। न्यायमित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता।हम उनके अमूल्य योगदान और सहायता के लिए उनकी सराहना करते हैं।

3. वास्तव में, यह पहला मामला नहीं है जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता की जांच की जाती है।जनहित फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

“10. तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि आर. पी. अधिनियम की धारा 8 (1), 8 (2) और 8 (3) में निर्दिष्ट अपराधों के लिए जिन मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ आरोप विरचित किए गए हैं, उनके संबंध में मुकदमा यथासंभव तेजी से और शीघ्रता से समाप्त किया जाएगा।

1 इसके बाद 'विषय मामले' के रूप में संदर्भित किया जाता है।2 (2015) 11 एससीसी 433 271

आरोप तय होने की तारीख से एक साल के बाद का मामला।ऐसे मामलों में, जहां तक संभव हो, सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।यदि कुछ असाधारण परिस्थितियों के लिए संबंधित न्यायालय आरोप तय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मुकदमे को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो ऐसा न्यायालय उपरोक्त समय-सीमा का पालन नहीं करने और मुकदमे के समापन में देरी के विशेष कारणों का संकेत देते हुए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।ऐसी स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश मुकदमे के समापन के लिए समय बढ़ाने के लिए संबंधित न्यायालय को उचित निर्देश जारी कर सकते हैं। "

4. प्रारंभिक चरण में, इस न्यायालय ने एल. डी. का बयान दर्ज किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कार्यवाहियां प्रतिकूल प्रकृति की नहीं हैं और संघ विषय मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटारे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के खिलाफ नहीं होगा। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और उच्च न्यायालय ों से विशेष न्यायालय ों की स्थापना के विचार और इसके कार्यान्वयन में शामिल वित्तीय निहितार्थ पर प्रतिक्रिया देने का आह्वान किया।

5. आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बाद, संघ आयोग ने कई राज्यों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले बारह विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार करते हुए एक हलफनामे का नेतृत्व किया, जैसा कि दिनांकित 14.12.2017 के आदेश से स्पष्ट है।उसी आदेश द्वारा, उच्च न्यायालयों को विषय मामलों की पहचान करने और उन्हें स्थापित किए जाने वाले विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था।संघ को लगभग 500 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय वहन करने का भी निर्देश दिया गया था। इन बारह विशेष अदालतों को चलाने के लिए 7.8 करोड़ रुपये।

6. हालाँकि, चूंकि उपरोक्त निर्णय के नीतिगत और वित्तीय निहितार्थ थे, इसलिए बहुत विचार-विमर्श के बाद, इस न्यायालय ने मामले पर पुनर्विचार किया और न्यायमित्र के सुझाव को स्वीकार कर लिया।अर्थात्, विशेष अदालतों की स्थापना के बजाय, प्रत्येक जिले में सत्र और मजिस्ट्रेट दोनों स्तरों पर एक विशिष्ट न्यायालय की पहचान की जाए और विषय मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाए।केंद्र, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को नए सुझाव का जवाब देने के लिए कहा गया था।

7. आई. डी. 1 पर, उच्च न्यायालयों को मामले की जांच करने और अपने अधिकार क्षेत्र में अधिक से अधिक सत्र और मजिस्ट्रेट अदालतों का गठन करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें उचित और समीचीन माना जाता है।उसी आदेश द्वारा, यह भी निर्देश दिया गया था कि मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ मौत/आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए, इसके बाद 5 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय मामले होने चाहिए।इसके बाद सभी

/

[2023] 14 एस सी आर।

मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले, उसके बाद पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ इसी तरह के मामले उठाए जाने थे।इस आदेश ने यह भी सुझाव दिया कि नामित अदालतें दैनिक आधार पर विषय मामलों को उठाएंगी और सुनेंगी।

8. आई. डी. 1 पर, उच्च न्यायालय ों को निर्देश दिया गया था कि वे (i) किसी मामले में शामिल सांसद/विधायक, (ii) मौजूदा या पूर्व, (iii) एफ. आई. आर. की तारीख, (iv) आरोप पत्र की तारीख, (v) आरोप पत्र की भाषा की तारीख, (vi) आरोप तय करने की तारीख, (vii) वर्तमान स्थिति, (viii) उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे पर रोक, यदि कोई हो, (ix) मुकदमे के पूरा होने का अपेक्षित समय, (x) अदालत का नाम, और (xi) उस जिले के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसमें मामला दर्ज किया गया है।उच्च न्यायालयों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी केवल भारतीय दंड संहिता सी. से संबंधित है।विषयगत मामलों की व्यापक समझ रखने के लिए, दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने विशेष कानूनों के अंतर्गत सांसदों और विधायकों के अभियोजन के बारे में जानकारी मांगी।उच्च न्यायालयों ने उक्त जानकारी को संकलित किया और एफ़ी डेविट्स के रूप में हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।9. उपर्युक्त जानकारी के आधार पर, एक व्यापक प्रोटोकॉल, नामित न्यायालयों की पहचान के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति में, ऐसे न्यायालयों की संख्या, प्रक्रिया और अभ्यास जिसे उन्हें अपनाने और पालन करने की आवश्यकता है, गवाह संरक्षण, आदि विद्वान न्यायमित्र द्वारा तैयार किया गया था।इन्हें इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 10.09.2020 आदेश में नोट किया गया था और उन्हें तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

((i) सांसदों/विधायकों के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयः- ए। प्रत्येक उच्च न्यायालय को पूर्व और वर्तमान विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को उतने सत्र न्यायालय ों और मजिस्ट्रेट न्यायालय ों को सौंपने/आवंटित करने का निर्देश दिया जा सकता है जितना संबंधित उच्च न्यायालय लंबित मामलों की संख्या और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित, उचित और समीचीन समझते हैं।इस तरह के निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के चार सप्ताह के भीतर लिए जा सकते हैं।

बी। राज्य सरकारें सिफारिश प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी करेंगी।

ग. मामलों के अभिलेख को विशेष न्यायालयों को शीघ्रता से हस्तांतरित किया जाना।

((ii) अभ्यास निर्देशः

- 273

ए। विशेष न्यायालय निम्नलिखित आदेश में मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देंगेः-

i. मृत्युदंड/आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध;ii. 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध;

iii.अन्य ऑफ एनसेस।

बी। मौजूदा विधायकों से जुड़े मामलों को पूर्व विधायकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

ग. फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ विशेष न्यायालयों द्वारा विचार किए जा रहे मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्राथमिकता देंगी और एक महीने के भीतर सभी लंबित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

घ. राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश संबंधित जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालयों में मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए कम से कम दो विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति/नियुक्ति करेंगी।

ई. दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और दर्ज किए जाने वाले कारणों को छोड़कर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

च. संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक अभियुक्त व्यक्तियों को निर्धारित तिथियों पर संबंधित अदालतों के समक्ष पेश करने और अदालतों द्वारा जारी एन. बी. डब्ल्यू. का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

छ. संबंधित पुलिस स्टेशन का एस. एच. ओ. गवाहों को समन की सेवा और न्यायालय में उनकी उपस्थिति और बयान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

ज. अदालतें गवाहों की जांच और आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक का उपयोग करेंगी।

((iii) स्थगन के अंतर्गत मामलेः- ए। रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एशियन रिसर्फेसिंग में यह माननीय न्यायालय । सी. बी. आई., 2018 (16) एस. सी. सी. 299, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

“यदि ठहराव दिया जाता है, तो यह आम तौर पर बिना शर्त या अनिश्चित काल की अवधि का नहीं होना चाहिए।उचित शर्तें लागू की जा सकती हैं।

ताकि वह पक्ष जिसके पक्ष में स्थगन दिया जाता है, जवाबदेह हो यदि न्यायालय मामले में कोई योग्यता नहीं रखता है और दूसरा पक्ष नुकसान और अन्याय का समर्थन करता है। विधायी नीति और आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय के लिए अनुच्छेद 21 के अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए, यदि रोक दी जाती है, तो मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर लिया जाना चाहिए और दो-तीन महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।जहां मामला अधिक समय तक लंबित रहता है, वहां स्थगन का आदेश छह महीने की समाप्ति पर खाली हो जाएगा, जब तक कि असाधारण स्थिति को दर्शाने वाले एक बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है, जहां निचली न्यायालय द्वारा मुकदमे के अंतिम निपटारे के लिए निरंतर रोक को प्राथमिकता दी जानी थी।इस समय सीमा को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा रहा है कि इस तरह के परीक्षण सामान्य रूप से एक से दो वर्षों में समाप्त होने की उम्मीद है।” उपरोक्त मामले में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालतें उच्च न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी रोक के बावजूद मुकदमे के साथ आगे बढ़ेंगी, जब तक कि कारण दर्ज करके रोक को बढ़ाने का नया आदेश पारित नहीं किया जाता है।

बी। वैकल्पिक रूप से, महापंजीयकों को ऐसे मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उचित आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों को रखने का निर्देश दिया जा सकता है।((iv) गवाहों का संरक्षणः-

ए। ऐसे सभी मामलों में गवाहों की असुरक्षा और आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे विधायकों द्वारा प्रयोग किए गए प्रवाह को ध्यान में रखते हुए गवाह सुरक्षा आवश्यक है।इस माननीय न्यायालय ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ, 2018 (16) एस. सी. सी. 299 के मामले में "गवाह संरक्षण योजना, 2018" विरचित की है और इसे संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा उपयुक्त कानून बनाए जाने तक सभी राज्यों पर लागू किया है।

बी। विचारण न्यायालय संबंधित गवाहों द्वारा किसी भी आवेदन के बिना सभी गवाहों को उपरोक्त योजना के अंतर्गत संरक्षण देने पर विचार करेंगे।

((v) उच्च न्यायालयों द्वारा निगरानी।प्रत्येक उच्च न्यायालय "इन रेः" शीर्षक के साथ एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करेगा।राज्य में लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी करने और इस माननीय न्यायालय के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालतें।

बी। इस प्रकार पंजीकृत रिट याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा की जाएगी।ग. एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा।घ. राज्य का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता या एक अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा किया जाएगा।

ई. पुलिस महानिरीक्षक से कम रैंक का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रत्येक सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके।

च. प्रत्येक विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय को एक मासिक स्थिति रिपोर्ट भेजेगा और उच्च न्यायालय , इसकी जांच करने पर, मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा।छ. उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई ऐसे अंतराल पर की जाएगी जो आवश्यक हो; हालाँकि, कम से कम तीन महीने में एक बार। "

10. केंद्र और राज्य सरकारों को सुनने के बाद, हमने संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से विशेष अदालतों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक कार्य योजना के साथ उपरोक्त निर्दिष्ट सुझावों पर राय मांगी।यह एक महत्वपूर्ण क्रम होने के कारण, प्रासंगिक भाग यहाँ निकाला गया है;

“16. विशेष न्यायालय ों की संख्या बढ़ाने और लंबित आपराधिक मामलों को तर्कसंगत बनाने के संबंध में, हम यह उचित समझते हैं कि, इसके संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश पारित करने से पहले, प्रत्येक उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश को निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में आवश्यक विशेष न्यायालय ों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित होगाः[3]ए। प्रत्येक जिले में लंबित मामलों की कुल संख्या

बी। आनुपातिक विशेष न्यायालयों की आवश्यक संख्या सी।वर्तमान में उपलब्ध न्यायालयों की संख्या

घ. न्यायाधीशों की संख्या और मामलों की विषय श्रेणियां।नामित किए जाने वाले न्यायाधीशों का कार्यकाल

3 दिनांकित आदेश 16.09.2020 देखें।

च. प्रत्येक न्यायाधीश को सौंपे जाने वाले मामलों की संख्या छ।मामलों के निपटारे के लिए अपेक्षित समय

ज. निर्दिष्ट किए जाने वाले न्यायालयों की दूरी i.बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता

17. विद्वान मुख्य न्यायाधीशों को कार्य योजना तैयार करते समय इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या मुकदमे पहले से ही तेजी से चल रहे हैं, क्या इसे एक अलग न्यायालय में स्थानांतरित करना आवश्यक और उचित होगा।

18. उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीश इन मुकदमों की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ भी नामित करेंगे, जिसमें वे और उनके नामित सदस्य शामिल होंगे।

19. विद्वान मुख्य न्यायाधीशों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे विद्वान न्यायमित्र के अन्य सुझावों पर अपनी टिप्पणी दें, जैसा कि हमारे दिनांकित 10.09.2020 आदेश और इस आदेश में हमारे द्वारा निकाला गया है।उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से हमें अतिरिक्त सुझाव, यदि कोई हो, भेजें।उच्च न्यायालय ों के विद्वान मुख्य न्यायाधीशों की टिप्पणियों और सुझावों के साथ कार्य योजना को अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के महासचिव को भेजा जाना है।एक प्रति विद्वान न्यायमित्र को ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।

20. हम सभी उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करते हैं कि वे मौजूदा/पूर्व विधायकों (सांसद और विधायक) से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों को, विशेष रूप से जिन मामलों में रोक दी गई है, विद्वान मुख्य न्यायाधीश और/या उनके नामित लोगों की एक उपयुक्त पीठ (एस) के समक्ष तुरंत सूचीबद्ध करें।सूचीबद्ध होने पर, न्यायालय को पहले यह निर्णय लेना चाहिए कि रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी. बी. आई., (2018) 16 एस. सी. सी. 299 के एशियन रिसर्फेसिंग में इस न्यायालय के निर्णय में निहित रोक के अनुदान के संबंध में सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई रोक दी गई है, तो उसे जारी रखा जाना चाहिए या नहीं।यदि रोक लगाना आवश्यक समझा जाता है, तो न्यायालय को दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करनी चाहिए और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के दो महीने की अवधि के भीतर इसका शीघ्रता से निपटारा करना चाहिए।यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोविड-19 की स्थिति इस निर्देश के अनुपालन में बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसानी से सुना जा सकता है। "

277

11. उपर्युक्त निर्दिष्ट दिनांक 16.09.2020 के आदेश की निरंतरता में, आगे के निर्देश जारी किए गए और इस संबंध में जानकारी मांगी गई-(ए) उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं 4; (बी) गवाह सुरक्षा का विस्तार

महेंद्र चावला बनाम भारत संघ, (2019) 14 एस. सी. सी. 615 5; (सी)

धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अभियोजन वापस लेने का आदेश। और (घ) न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण।एफ़ी डेविट्स के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी।

12. मामला लंबित होने की वर्तमान स्थितिःएक व्यापक तस्वीर

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले विभिन्न न्यायालयों में लंबित विषय मामले हमें उपलब्ध कराए जाते हैं।निम्नलिखित तालिका दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 तक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या का प्रमाण देती है और नवीनतम नवंबर 2022 है।

श्री. नहीं।	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दिसंबर 2018 में मामला	दिसंबर 2021 में मामले			
श्री. नहीं।	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दिसंबर 2018 में मामला	दिसंबर 2021 में मामले			
नवंबर 2022 तक के मामले						
कुल मामले			5 वर्ष से अधिक			प्रति न्यायाधीश केस लोड
1	/	3	/	/	/	7
1	आंध्र प्रदेश	109	146	92	50	92
/	अरुणाचल प्रदेश	/	/	/	1	1 से 4 के बीच
3	असम	/	69	75	33	0 से 2.5 के बीच
/	बिहार	304	/	546	381	औसत 7.3
/	छत्तीसगढ़	/	/	10	/	औसत 1.1
/	दिल्ली	124	97	93	-	औसत 16
7	गोवा	15	/	19	/	2 से 8 के बीच
।	गुजरात	119	33	28	/	1 से 3

						के बीच

4 दिनांकित आदेश 06.10.2020।

5 दिनांकित आदेश 04.11.2020।

6 दिनांकित आदेश 10.08.2021।

7 आदेश दिनांक 10.08.2021 स्पष्टीकरण बाद में दिनांक 10.10.2021 और 12.07.2023 के आदेश द्वारा संपादित किया गया

/	हरियाणा	35	/	48	/	0 से
10	हिमाचल प्रदेश	34	68	70	17	1 से 1
/	झारखंड	160	207	198	72	1 से
/	कर्नाटक	161	150	221	61	13
/	केरल	312	401	384	/	0 से
/	मध्य प्रदेश	168	260	329	51	25 से
15	महाराष्ट्र	303	470	482	169	1 से
/	मणिपुर	/	/	10	1	1 से
17	मेघालय	3	/	/	/	1 से
/	मिजोरम	/	1	0	0	लागू
19	नगालैंड	1	0	0	0	लागू
/	उड़ीसा	331	360	454	323	0 से
21	पंजाब	34	74	91	/	0 से
/	राजस्थान	/	56	57	21	1 से
23	सिक्किम	0	0	0	0	
/	तमिलनाडु	321	328	260	60	1 से 2
/	तेलंगाना	99	50	17	/	1 से 1
26	त्रिपुरा	/	0	0	0	लागू न

279

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई 280

-	उत्तर प्रदेश	992	1339	1377	719	ए वी जी

28	उत्तराखंड	34	10	15	/	सुसज्जि
29	पश्चिम बंगाल	269	136	244	23	0 से 3
30	अंडमान और निकोबार (यू. टी.)	0	0	0	0	लागू
31	चंडीगढ़ (यू. टी.)	—	10	10	1	0 से
32	दादरा और नगर हवेली (यू. टी.)	/	0	0	0	लागू
33	जम्मू और कश्मीर (यू. टी.)	/	7	/	/	सुसज्जि
34	लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)	—	—	—	—	
35	लक्षद्वीप (यू. टी.)	—	—	—	—	
36	पुडुचेरी (यू. टी.)	34	36	31	/	1 से 1
कुल	4122	4974	5175	2116		

13. विश्लेषणःउपर्युक्त संदर्भित तालिका से पता चलता है कि नवंबर, 2022 तक 5,175 विषय मामले लंबित हैं।इनमें से 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले 2,116 हैं, जो कि ऐसी लंबित मामलों के 40 प्रतिशत से अधिक हैं।यह एक बड़ी संख्या है।

14. इन मामलों का सीधा असर हमारे राजनीतिक लोकतंत्र पर पड़ता है।इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।अपने राजनीतिक प्रतिनिधि में निर्वाचन क्षेत्र का विश्वास और विश्वास, चाहे वह सांसद हो या विधायक, एक संसदीय लोकतंत्र के संवादात्मक, प्रभावशाली और प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है।हालाँकि, इस तरह के विश्वास की उम्मीद करना मुश्किल है जब हमारी राजनीति में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित तालिका में बताया गया है, बहुत अधिक हो जाता है।
15. वास्तव में, विषय मामलों को तेजी से उठाने और निपटाने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में कोई दो विचार नहीं हैं।हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन में शामिल राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हो या विधायक, भी इन मामलों के त्वरित निपटारे की मांग करेंगे।हालांकि,

/

समस्या कहीं और है।यह प्रणालीगत, शायद संस्थागत प्रतीत होता है, और प्रतिकूल मुकदमेबाजी के तरीके सहित कई कारकों को अपने दायरे में लेता है जिन्हें हमने अपनाया है।फिर भी, हम जिस प्रथा और प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसके हर चरण में सुधार की

गुंजाइश है।यह इस संदर्भ में है कि हमने पिछले सात वर्षों से इस मामले को ईमानदारी से संचालित और निगरानी की है।

16. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन मामलों की संख्या पर अखिल भारतीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, हमने शुरुआत में राज्यों के बीच और यहां तक कि एक राज्य के भीतर जिलों के बीच भी, उन कारकों पर काफी विषम प्रवृत्ति का उल्लेख किया है, जिनका शीघ्र निपटान पर असर पड़ता है।यह राज्यों और यहां तक कि राज्यों के भीतर जिलों के बीच लंबित मामलों की वास्तविक संख्या में मौजूद अंतर से स्पष्ट है।मामलों को तय करने के लिए न्यायाधीशों की उपलब्धता, प्रति न्यायाधीश मामले का भार, जिस गति से मामलों का फैसला किया जाता है, भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे की स्थिति, अभियोजकों की उपलब्धता आदि में भी भिन्नताएं हैं। एक और पहलू है, और यह डेटा संग्रह के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन इन मामलों के जल्द निपटारे के हमारे प्रयास पर इसका सीधा असर पड़ता है।प्रत्येक न्यायालय में प्रचलित प्रथा और प्रक्रिया अलग होती है और कभी-कभी इसकी जड़ें गहरी होती हैं।ऐसे कई कारक हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय या भाषाई हो सकते हैं, जो न्यायालय में कार्य नैतिकता को बढ़ावा देते हैं।यही वह जगह है जहाँ बार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए, उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।एक बार जब हम बार और बेंच के अटूट संबंध और परस्पर निर्भरता को पहचान लेते हैं, तो इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और उनका समाधान करने की आवश्यकता सामने आती है।इस स्तर पर, हम केवल उन कारकों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें विषय मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए सटीक मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

17. अभिलेख पर उपलब्ध आंकड़ों और जानकारी का विश्लेषण करने के बाद, दो निष्कर्ष सामने आए-पहला, ऐसे कई कारक हैं जिनका विषय मामलों के निपटारे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और दूसरा, इनमें से प्रत्येक कारक के संबंध में राज्य से राज्य और जिले से जिले में पर्याप्त भिन्नता है।ये निष्कर्ष-विचारों की बहुलता और राज्य से राज्य और यहां तक कि जिले से जिले के बीच उनकी विषमता, निर्णय या एक उपाय पर सीधा असर डालते हैं जिसे हम विषय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अपना सकते हैं।

18. हमने 2017 से इन कार्यवाही की निगरानी की है और उच्च न्यायालयों द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए आंकड़ों और जानकारी की जांच की है।हमने राज्य सरकारों की ओर से किए गए सहयोगों का भी अध्ययन किया है, जिन्होंने 281 सुनिश्चित करने में समान चिंता और गंभीरता दिखाई है

विषयगत मामलों का शीघ्र निपटान।विद्वान न्यायमित्र की सहायता से, हमने कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो जांच को पूरा करने, मुकदमे के सुचारू संचालन, बाधाओं को दूर करने और विषय मामलों को जल्द से जल्द समाप्त करने में सक्षम होंगे।

19. इस मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि कई कारक मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक निवेश विषयगत मामलों के शीघ्र निपटारे का कारण बनता है।यह, राज्य से राज्य में उनकी असमानता के साथ मिलकर, इस न्यायालय के लिए विषय मामलों के निपटारे के लिए इस देश के कोने-कोने में निचली अदालतों के लिए एक समान या मानक दिशानिर्देश बनाना मुश्किल बनाता है।हमने उच्च न्यायालयों के नेतृत्व में उनके अधिकार क्षेत्र में मौजूद स्थिति को समझाते हुए एफिडेविट फाइ का अध्ययन किया है।उच्च न्यायालय न्यायिक के साथ-साथ प्रशासनिक पक्ष पर भी इन मुद्दों से निपटते रहे हैं और वे अपने प्रत्येक जिला न्यायालय में मौजूद स्थिति के प्रति सचेत हैं।अनुच्छेद 227 अंतर्गत उच्च न्यायालयों को जिला न्यायपालिका पर अधीक्षण की शक्ति सौंपी गई है।हम उचित समझते हैं कि यह उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया जाए कि वे ऐसी विधि विकसित करें या ऐसे उपाय लागू करें जो वे विषय मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए समीचीन समझते हैं।

20. इस मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हम निर्देश देते हैं किः

(i) उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीश एक स्वतः पंजीकृत करेंगे -

शीर्षक के साथ मोटो केस, "इन रेःसांसदों के लिए नामित अदालतें /

संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की निगरानी करना।स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है।

((ii) स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करने वाली विशेष पीठ मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है जैसा कि आवश्यक महसूस किया जाता है।उच्च न्यायालय ऐसे आदेश और/या निर्देश जारी कर सकता है जो विषय मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक हों।विशेष पीठ महाधिवक्ता या लोक अभियोजक को न्यायालय की सहायता के लिए बुलाने पर विचार कर सकती है।

8 यद्यपि संविधान जिला न्यायपालिका का वर्णन करने के लिए 'अधीनस्थ' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, लेकिन इसे शाब्दिक अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए।वास्तव में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 673 में इस न्यायालय ने माना है कि जिला न्यायपालिका हमारी मूल संरचना का एक हिस्सा है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(iii) उच्च न्यायालय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश से ऐसे न्यायालय या न्यायालय ों को विषय मामलों को आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करने की अपेक्षा कर सकता है जो उचित और प्रभावी माने जाते हैं।उच्च न्यायालय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश से ऐसे

अंतराल पर रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकता है जो वह समीचीन समझता है।((iv) नामित अदालतें प्राथमिकता देंगीः

(i) पहले सांसद और विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों में मौत या आजीवन कारावास की सजा, फिर (ii) 5 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय मामलों में, और फिर (iii) अन्य मामलों की सुनवाई।विचारण न्यायालय दुर्लभ और सम्मोहक कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेंगे।

(v) विद्वान मुख्य न्यायाधीश उन मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनमें विशेष पीठ के समक्ष मुकदमे पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे की शुरुआत और समापन सुनिश्चित करने के लिए रोक आदेशों को हटाने सहित उचित आदेश पारित किए गए हैं।

(vi) प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नामित न्यायालयों के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधा सुनिश्चित करेंगे और इसे ऐसी तकनीक को अपनाने में भी सक्षम बनाएंगे जो प्रभावी और प्रभावी कामकाज के लिए समीचीन हो।

(vii) उच्च न्यायालय अपनी वेबसाइट पर एक स्वतंत्र टैब बनाएगा जो भाषा के वर्ष, लंबित विषय मामलों की संख्या और कार्यवाही के चरण के बारे में जिलेवार जानकारी प्रदान करेगा।हम यह स्पष्ट करते हैं कि विषयगत मामलों की निगरानी करते समय, विशेष पीठ ऐसे आदेश पारित कर सकती है या ऐसे अतिरिक्त निर्देश दे सकती है जो विषयगत मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक हों।21. इन निर्देशों के साथ, हम संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे से संबंधित पहली प्रार्थना के संबंध में इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं।22. यह रिट याचिका अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता से संबंधित अन्य मुद्दे पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।हम विद्वान न्यायमित्र द्वारा किए गए कार्यों के लिए अपनी सराहना भी दर्ज करते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

निर्देश जारी किए गए।

अंकित ज्ञान